

an>

Title: Introduction of the Compulsory Basic Facilities for Widow and Orphans Bill, 2016.

श्री निशिकान्त दुखे (गोडां) : अध्यक्ष मठोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधवाओं और अनाथों को आवास, औजन, पानी, दवाइयों और सुरक्षा जैसी जरूरी आधारभूत सुविधा तथा उससे संसर्गित विषयों का उपर्युक्त करने वाले विधेयक को पुरास्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory basic facilities like housing, food, water, medicine and security to widows and orphans and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुखे : मठोदया, मैं विधेयक पुरास्थापित करता हूं।

15.32 hours